

12/8/2025

पत्रावली पेश हुई। वक्तुभाय अनुपाधिक।
 प्रार्थी को उपाधिक हेतु बार - बार, रुक
 रुक कर आवाज लगावाई गयी किन्तु
 प्रार्थी उपाधिक नहीं हुए।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
 पत्र अन्तर्गत धारा 86 RT Act
 अदम हाजरी व अदम पैरवी में
 खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फैंशाडशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो
 व नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
 एवं उप खण्ड अधिकारी
 बिलाडा